


दिनांक 16.07.2016 को अपरान्ह में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज स्थित "33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र जेठवारा" के किये गये औचक निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16.07.2016 को अपरान्ह में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज स्थित "33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र जेठवारा" का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री एम0पी0 वर्मा पुलिस अधीक्षक, श्री भगवान दास कमलवंशी तहसीलदार लालगंज, श्री दिनेश प्रकाश पाण्डेय थानाध्यक्ष जेठवारा, प्रतापगढ़ उपस्थित रहे।



1. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त केन्द्र पर 04 व्यक्ति उपस्थित रहें जिनसे पूँछताँछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में 03 व्यक्ति अपनी-अपनी शिकायत दर्ज कराने आये हैं तथा एक व्यक्ति श्री सुखई सुत श्री राम प्रसाद जो उक्त उप केन्द्र पर निजी तौर पर कार्य देखता है। इस सम्बन्ध में श्री सुखई से पूँछताँछ की गयी कि उसे किस अधिकारी द्वारा रखा गया है तो उसके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। यह स्थिति अत्यन्त ही चिन्ताजनक है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत (द्वितीय) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अपना लिखित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
2. निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित श्री दिनेश प्रकाश पाण्डेय थानाध्यक्ष जेठवारा व जेठवारा बाजार के अन्य ग्रामवासियों द्वारा इस आशय की शिकायत की गयी कि उक्त केन्द्र से विद्युत बहुत कम दी जाती है तथा वोल्टेज अत्यन्त ही कम रहता है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत (द्वितीय) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति कराना तथा लो-वोल्टेज की समस्या का समाधान कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
3. निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में उक्त केन्द्र पर तैनात श्री संतोष कुमार पटेल अवर

(2)

अभियन्ता के पद पर तैनात हैं। श्री पटेल के सम्बन्ध में पूँछताँछ करने पर श्री सुखई राम द्वारा अवगत कराया गया कि वे अभी केन्द्र पर नहीं आये हैं और केन्द्र से सम्बन्धित समस्त रजिस्टर आदि उन्हीं के पास है। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा गत सप्ताह में जनपद के समस्त विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं अवर अभियन्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करके स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि वे नियमित रूप से केन्द्रों पर उपस्थित रहकर अपने कार्यों को नियमानुसार संपादित करें, किन्तु खेद का विषय है कि श्री पटेल द्वारा उक्त महत्वपूर्ण निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया और निजी व्यक्ति को रखकर कार्य कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत (द्वितीय) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के लिए उत्तरदायी श्री संतोष कुमार पटेल अवर अभियन्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के प्रस्तुत करें।

4. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त उपकेन्द्र अत्यन्त ही जर्जर स्थिति में है जिसमें दीवारों के प्लास्टर उखड़े हैं तथा परिसर में चारों तरफ बड़ी-बड़ी झाड़ियों एवं घाँस उगी हुई है और उपकेन्द्र निजी व्यक्ति के सहारे चलाया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त ही चिन्ताजनक है। इससे स्पष्ट है कि आप द्वारा शिथिल पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत (द्वितीय) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अपना लिखित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त उपकेन्द्र परिसर में काफी संख्या में बॉस-बल्ली आदि रखा गया है। इस सम्बन्ध में पूँछताँछ करने पर श्री सुखई द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। अधिशाषी अभियन्ता विद्युत (द्वितीय) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।


(डा० आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या : 1688 / शिविर-2016

दिनांक : जुलाई 17, 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
3. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
5. अधीक्षण अभियन्ता (पारेषण) विद्युत मण्डल द्वितीय, इलाहाबाद।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/अधिशाषी अभियन्ता (पारेषण), विद्युत, प्रतापगढ़।
7. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय), प्रतापगढ़।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़।


जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।